ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड सं0–01, सेक्टर–नॉजेल पार्क–4, ग्रेटर नौएडा,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रॉकः 504 दिनॉक 05 / 08 / 2020

कार्यवृत्त

दिनांक 29.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर0डब्ल्यू0ए0 के प्रतिनिधियों के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अर्बन सर्विस / स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित निम्न कार्यों हेतु अवगत कराया गया :–

1. ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में तीन तरह के RWA/AOA/CGHS हैं। प्राधिकरण द्वारा RWA/AOA/CGHS को स्वायतता देने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा RWA/AOA/CGHS के साथ एवं अनुबंध गठन कर Annexure-A के अनुसार निम्न 03 प्रकार के आवश्यक कार्य MoU के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं :–
   - ए) पेट डॉग्स का रजिस्ट्रेशन
   - बी) स्ट्रीट डॉग्स का सरंक्षण एवं नसबन्दीकरण।
   - सी) खाली भूखण्ड की साफ–सफाई।

2. उक्त के अतिरिक्त Annexure-B के अनुसार निम्न वैकल्पिक कार्य हैं, जो MoU के माध्यम से RWA/AOA/CGHS द्वारा कराये जा सकते हैं :–
   - A) सामुदायिक केन्द्र के प्रबंधन एवं संचालन का कार्य।
   - B) पार्क के प्रबंधन एवं रख–रखाव का कार्य।
   - C) ग्रीनबैल्ट के रख–रखाव का कार्य।
   - D) स्ट्रीट लाईट के रख–रखाव का कार्य।
   - E) ठोस अपशिष्ट कूडे का प्रबन्धन एवं रख–रखाव का का कार्य।
   - F) सामान्य सफाई व्यवस्था के संचालन का कार्य।
   - G) पटरी ड्रेसिंग का प्रबन्धन एवं रख–रखाव का कार्य।
   - H) पेडों की सिचाई, कटाई व छटाई का प्रबन्धन एवं संचालन का कार्य।

3. उक्त के अतिरिक्त (Annexure-A एवं Annexure-B में उल्लेखित वैकल्पिक कार्यों के अतिरिक्त) Annexure-C के अनुसार बेहतर नगरीय सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से प्राधिकरण को यदि कोई प्रस्ताव RWA/AOA/CGHS द्वारा प्रेषित किया जायेगा, प्राधिकरण को प्राप्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा गठित समिति विचार करेगी एवं गुण–दोष एवं उपयोगिता के आधार पर अनुसंशा किये जाने पर ही RWA/AOA/CGHS को प्रस्तावित वैकल्पिक कार्य के लिए अनुज्ञा अनुबंध के आधार पर अधिकृत किया जा सकता है। इस पर अन्तिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का होगा।

{कार्यवाही– अर्बन सर्विस एवं समस्त RWA/AOA/CGHS}

सेक्टर–37, ग्रेटर नोएडा के RWA पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सेक्टर–37 में साफ–सफाई का कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

{कार्यवाही– स्वास्थ्य विभाग}

(एस0सी0 अरोड़ा)
उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

प्रतिलिपिः

1. स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी / जी) महोदय को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस.एस.) महोदय को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (परि0–एस. / के) महोदय को सूचनार्थ।
5. समस्त वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना / स्वास्थ्य / उद्यान) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप महाप्रबन्धक (स्वास्थ्य)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

०१, सैक्टर - नॉलेज पार्क ०४, ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांकः म०प्र०(अभियन्त्रण)/२०२०/ 806

दिनांकः 31 जुलाई, २०२०

श्री श्रीपाल सिंह,
वरिष्ठ प्रबन्धक (अभियन्त्रण-सीवर)
ग्रेटर नौएडा।

श्री आर० ए० गौतम,
वरिष्ठ प्रबन्धक (अभियन्त्रण-जल)
ग्रेटर नौएडा।

श्री अजय कुमार राय,
प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक (उद्यान)
ग्रेटर नौएडा।

विषयः **दिनांक २६.०७.२०२० को सांय ३.०० बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर०डबल्यू०ए० प्रतिनिधियों के साथ विडियो कान्फ्रैन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त बैठक में आपके वर्क सर्किल से सम्बन्धित बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैः-

क0 सं0	बिन्दु	कार्यवाही
1.	सैक्टर–37, ग्रेटर नौएडा के आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष श्री जय सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए जलापूर्ति की अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
2.	सैक्टर–ओमीकॉन 2, ग्रेटर नौएडा के आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष श्री सतीश भाटी द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की सप्लाई वर्तमान में दो समय ही की जा रही है, जिसकी अवधि और अधिक बढाने हेतु अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आर0डबल्यू0ए0 अध्यक्ष/प्रतिनिधियों से साथ समन्वय स्थापित करते हुए जलापूर्ति की अवधि बढाये जाने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3.	आर0डबल्यू0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा पार्कों की बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे एवं हट की मरम्मत कराये जाने तथा सभी सैक्टरों में रोपित पेडों की कटाई–छँटाई (Prunning) कराये जाने का अनुरोध किया गया।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त सैक्टरों में सिविल एवं उद्यानिक अनुरक्षण कार्यों के Composite आगणन पर शीघ्र कार्यवाही कर ई–निविदा आमन्त्रित कराया जाना सुनिश्चित करें।
4.	आर0डबल्यू0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को टैंकरों द्वारा नाले में डाल दिया जाता है।	इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्रामों में बने सैप्टिक टैंक के सीवर को सीधे एम0पी0एस0 में डाले जाने हेतु शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(समाकान्त श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)

प्रतिलिपिः-

- स्टॉफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०/जी०) महोदय को सादर सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विसेज) को इस निर्देश के साथ कि उक्त समस्त बिन्दुओं को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित करें।।

महाप्रबन्धक (अभियन्त्रण)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0 –01, सैक्टर – के0 पी0 –4, ग्रेटर नौएडा।
जनपद – गौतमबुद्वनगर

कृपया दिनांक 29.07.2020 को दोपहर 03:00 बजे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आर. डब्ल्यू. ए. के प्रतिनिधियों के साथ विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एक बैठक आहुत की गई, जिसमें ग्रेटर नौएडा ईस्ट में अधोहस्ताक्षरी के अधीन अभियन्त्रण/विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही/आख्या निम्नानुसार है:–

कम सं0	बिन्दु	कार्यवाही आख्या
01.	• सैक्टर स्वर्ण नगरी के डी ब्लॉक में ड्रेन की सफाई कई स्थानों पर सूचारू रूप से नहीं हुई है। • सैक्टर में अवैध रूप से चल रहे पी. जी./गेस्ट हाउस/मोबाईल टावर हटाने की मांग की गई है।	• दिनांक 30.07.2020 को आर. डब्ल्यू. ए. अध्यक्ष श्री राजेश भाटी के साथ स्थल पर सम्वन्य स्थापित कर पूर्ण रूप से ड्रेन की सफाई की कार्यवाही की गई। • आर. डब्ल्यू. ए. के साथ सयुंक्त रूप से चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अनुसार नोटिस प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
02.	• सैक्टर – 36 में खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है। • सैक्टर – 36 में बनी नालियों को आवंटियों द्वारा अपने घर के सामने रैम्प बनाकर कवर की गई है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। अतः रैम्पो को तोडने की मांग की गई है। • गेट नं0 – 4 के सामने तालाब की बाउण्ड्रीवाल कराये जाने की मांग की गई है।	• इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम –2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रकिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। • उक्त नालियों को अवरूद्व करने वाले रैम्पों के चिन्हिकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके अनुसार सम्बन्धित आवंटियों को नोटिस भेजकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही आर. डब्ल्यू. ए के साथ संयुक्त रूप से की जायेगी। • उपरोक्त पर आर. डब्ल्यू. ए की मांग के अनुसार नियोजन विभाग को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। नियोजन विभाग के मत अनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
03.	सैक्टर – 37 में खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है।	इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम –2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी

		निविदा प्रकिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
04.	• सैक्टर ईटा –1 खराब स्ट्रीट लाईटों की मरम्मत कराने एवं सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित कराने का अनुरोध किया गया है। • श्री दीपक भाटी, आर. डब्ल्यू. ए. के द्वारा सैक्टर ईटा –1 के साकीपुर वाले छोर पर अवशेष बाउण्ड्रीवाल का कार्य कराये जाने की मांग की गई है।	• इस सम्बन्ध में वरिष्ठ प्रबन्धक ई. एण्ड एम –2 द्वारा अवगत कराया गया कि सैक्टर में खराब स्ट्रीट लाईट की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जोकि एक सप्ताह में पूर्ण करा दिया जायेगा तथा सोडियम लाईटों को एल. ई. डी से परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी निविदा प्रकिया माह अगस्त में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। • उक्त कार्य की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाने की प्रकिया में है। शीघ्र ही उक्त कार्य की निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आर. डब्ल्यू. ए. के प्रतिनिधियों का यदि कोई भी सुझाव/त्रुटि हो तो उक्त ई. मेल आई. डी wsurbanservices@gnida.in पर भेज सकते है।